न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :–62 / 2022 (2022 / 324 जीसीएमएस)

1. निर्मला देवी पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 11 केडी–बी तहरील रावला जिला श्रीगगानगर राजरथान।

....प्रार्थीया

बनाम

1. विधादेवी पत्नी किशनलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 केडी–बी तहरील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जग्भेश्वर पुत्र किशनलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 केडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजरथान।
3. सन्तोष देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 11 केडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. जसविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 11 केडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावला तहसील रावला जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।
6. उप पंजीयक रावला तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. जीवनराम पुत्र शंकरराम कुम्हार निवासी 15 केडी–ए तहसील रावला।

....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
1. श्री मदन ज्याणी, वकील प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से वकील श्री सीताराम टाक।
3. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :– 05.12.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके कामयाब होने की पूरी–पूरी सम्भावना है तथा प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन पूर्णतया प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील रावला के चक 4 केडी–बी पटवार हल्का 10 केडी के पत्थर नम्बर 111/5 मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 25 में कुल 4.175 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जावेगा। प्रार्थीया का विवादित भूमि में 695/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं इसी अनुसार अप्रार्थीया संख्या 1 का 139/835 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी संख्या 2 का 696/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी संख्या 3 का 696/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं अप्रार्थी संख्या 4 का 696/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा एवं घरू बंटवारा अनुसार ही अपने–अपने हिस्सा पर मौका पर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 विवादित भूमि के विधिवत बंटवारा करवाने हेतु सहमत है लेकिन प्रार्थना पत्र पेश करते समय उपस्थित नहीं होने के कारण इनको तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को सिंचाई कर व राजस्व कर जमा करवाने व सिंचाई पानी का बंटवारा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिये प्रार्थीया ने अप्रार्थीया संख्या 1 को उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करने के लिए कहा तो अप्रार्थीया संख्या 1 प्रार्थीया को टालमटोल कर आगे से आगे आश्वासन दे रही है। आज से 2 रोज पूर्व प्रार्थीया ने अप्रार्थीया संख्या 1 को विवादित भूमि का जो संयुक्त खाता में दर्ज है उक्त खाता को विधिवत रूप से बंटवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थीया संख्या 1 आवेश में आ गयी एवं प्रार्थीया को कहा कि मैं विधिवत बंटवारा आज करवाउ ना कल, मैं उक्त भूमि को बिना विधिवत बंटवारा करवाये आगे अच्छे किस्म की भूमि को रहन बैय करूगी आपको जो करना है कर लो। विवादित भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है एवं प्रत्येक संयुक्त खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर अधिकार व हिस्सा है। अप्रार्थीया संख्या 1 विधिवत बंटवारा किये बिना अच्छी किस्म की भूमि को आगे रहन बैय करने की कतई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 1 के अलावा सभी संयुक्त खातेदार भूमि का किस्म अनुसार भूमि का बंटवारा करवाने हेतु सहमत है लेकिन अप्रार्थीया संख्या 1 कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर भूमि बंटवारा करवाए भूमि को आगे रहन बैय करने की धमकी दे रही है। अप्रार्थीया संख्या 1 बिना विधिवत बंटवारा किये विवादित भूमि मैं से अपना हिस्सा रहन बैय कर देती है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकन

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि तहसील रावला के चक 11 केडी–बी पटवार हल्का 10 केडी के पत्थर नम्बर 111/5 मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 25 में कुल 4.175 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड को अप्रार्थीया संख्या 1 बिना विधिवत बंटवारा किये रहन बैय करने राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने से बाज व मन्नू रहे।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को स्थगन पर एकतरफा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने पर पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वह आगामी तारीख पेशी तक तहसील रावला के चक 11 केडी–बी के प0नं0 111/5 मु0नं0 6 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 4.175 है0 कृषिभूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को भेजे गए नोटिस तामिल होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद करने पर जीवनराम को बतौर अप्रार्थी सं0 7 आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 जीवनराम की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वाद पत्र न्यायालय में पेश किया जाना स्वीकार है लेकिन उसके कामयाब होने की कतई सम्भावना नहीं है वा ना ही प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाता में रकबा दर्ज थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 विद्यादेवी द्वारा अपने हिस्से का दिनांक 05/07/2022 को बैयनामा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में करवाकर कब्जा उसी रोज मन अप्रार्थी संख्या 7 को सौंप दिया गया। मद संख्या 3 में वर्णित रकबा रिकॉर्ड के अनूसार स्वीकार है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 विद्यादेवी ने अपने हिस्से 139/835 (0.695 हैक्टेयर) का बैयनामा दिनांक 05/07/2022 को मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में करवा दिया, उसी रोज अपने घरेलु बंटवारा अनूसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कब्जा कास्त की भूमि का कब्जा मन अप्रार्थी संख्या 7 को सौंप दिया गया था जिस पर आज रोज तक मन अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा कास्त चला आ रहा है। मद

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

संख्या 4 का जबाव अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 से सम्बन्धित है परन्तु कब्जा कास्त के अनूसार मन अप्रार्थी संख्या 7 भी विधिवत बंटवारा करवाकर रिकॉर्ड में अपना नाम अमलदरामद करवाने हेतू तैयार है। मद संख्या 5 गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को जानबूझकर पक्षकार रखा है जबकि प्रार्थीया को इस बात का भलीभांति ईल्म था कि अप्रार्थी संख्या 1 विद्यादेवी ने दिनाक 05 / 07 / 2022 को अपने नाम की भूमि का बैयनामा मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में करवा दिया था लेकिन फिर भी प्रार्थीया को मन अप्रार्थी संख्या 7 को जानबूझकर आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थीया का मकसद मात्र मन अप्रार्थी संख्या 7 को तंग परेशान करने का शुरु से रहा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से मिलने वा बंटवारा करवाने के तथ्य सरासर झूठे, गलत दर्ज किये गये है, प्रार्थीया क्लीन हैण्ड न्यायालय में नही आयी है। इससे भी स्पष्ट होता है कि बैयनामा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनाक 05 / 07 / 2022 को मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में निष्पादित करवाकर कब्जा उसी रोज अपने घरेलु बंटवारानामा के अनुसार किला नं0 18, 19, 20 कुल 0.695 हैक्टेयर का सौंप दिया था जबकि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा दिनाक 10 / 08 / 2022 को पेश किया गया है, प्रार्थीया ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मन अप्रार्थी संख्या 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना हो सके। मद संख्या–6 सरासर झुठी मनगढ़ंत गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि प्रार्थीया को अप्रार्थीया संख्या 1 के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नही था उसके उपरान्त भी गलत तथ्यों का सहारा लेकर तथ्यों को छुपाकर झुठा वाद कारण बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से का बैयनामा दिनांक 05 / 07 / 2022 को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में करवाया जाकर उसी रोज अपने घरेलु बंटवारानामा के मुताबिक अपना कब्जा कास्त का रकबा मन अप्रार्थी संख्या 7 को किला नं. 18,19,20 की कुल 0.695 हैक्टेयर का कब्जा सौंप दिया गया था जिस पर आज रोज तक मन अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा कास्त चला आ रहा है। मद संख्या 7 में जिस तरह से झुठे तथ्य अंकित किये है उस प्रकार से कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने तो दिनांक 05.07.22022 को ही अपना हिस्सा मन अप्रार्थी संख्या 7 को बैचान कर बैयनामा मन अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष करवा दिया था जिसका ईल्म प्रार्थीया को भलीभांति था परन्तु उसके उपरान्त भी मन अप्रार्थी संख्या 7 को जानबूझकर पक्षकार न बनाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को ही पक्षकार बनाया गया है जिसका प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा में कोई हित ही नही रहा, परन्तु फिर भी मैं अप्रार्थी संख्या 7 कब्जा अनुसार जो कि अप्रार्थी संख्या 1 ने मन अप्रार्थी संख्या 7

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

को घरेलु बंटवारा के हिसाब से किला नं0 18, 19, 20 का कुल 0.695 हैक्टेयर सौंपा है उसी अनुसार आज भी विधिवत रुप से बंटवारा करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना अपना नाम दर्ज करवाने हेतु तैयार हुं, इसलिए प्रार्थीया कतई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त कथन किया गया कि मन अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 से उसके नाम का रकबा पूर्ण प्रतिफिल राशि अदा कर दिनांक 05.07.2022 को बैयनामा अपने पक्ष में करवाया गया है एंव अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के बीच में पूर्व में हुए आपस में घरेलु बंटवारा अनुसार कब्जा कास्त के अनुसार मुझे बैयनामा के रोज कब्जा किला नं0 18,19,20 में कुल 0.695 हैक्टेयर का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मे से सौंपा गया है एवं उसी रोज से मन अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा कास्त चला आ रहा है, एंव बैयनामा के बाद अप्रार्थी संख्या 7 ने कड़ी मेहनत कर रुपये खर्च कर उसे उपजाऊ और ज्यादा किया गया है इसलिए कब्जा कास्त के अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया जाता है तो मन अप्रार्थी संख्या 7 को कोई एतराज व उज्र नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र वाद कारण के अभाव में कानूनन विधि–विरुद्ध होने
के कारण भी खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झुठा, मनगढ़त कहानी के आधार पर सारहीन व आधारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में जवाब स्टेट की आवश्यकता नहीं होने के कारण जवाब स्टेट बन्द किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या पक्ष, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं के बारे में पत्रावाली का अवलोकन एवं वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन व विवेचन करने पर बिन्दुवार निम्न प्रकार से पाते हैं।

1. **प्रथम दृष्ट्या**– पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थीया का विवादित भूमि में 695/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं अप्रार्थीया संख्या 1 का 139/835 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पेश करने से पूर्व ही दिनांक 05.07.2022 को अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान कर दिया था। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बिन्दु के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष का होना नहीं पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

2. **सुविधा का संतुलन**– प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर हिस्सानुसार मौके पर भी अप्रार्थीगण ही काबिज है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष का नहीं होने पर सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष का नहीं होकर, अप्रार्थीगण के पक्ष का पाया जाता है।
3. **अपूर्णीय क्षति**– इस बिन्दु पर पत्रावली का अवलोकन व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर पाया जाता है कि अपूर्णीय क्षति के इस बिन्दु को प्रार्थीया अपने पक्ष का होने व प्रमाणीकरण करने में असफल रहे। क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रथम दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने तथा अप्रार्थीगण कब्जा काश्त रिकॉर्डड खातेदार होने के कारण इस बिन्दु को प्रार्थीया के पक्ष का मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बिन्दु को प्रार्थीया के पक्ष में नहीं माना जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में ही माना जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टतया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णीत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर पूर्व में जारी अन्तरिमत अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

प्रिया बजाज
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना